संकल्प सं०–5/न0वि0/वृ०श०परि० (फ्लाई–ओवर)–26/2016:–.........................

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प – 4007 –

दिनांकः– 22/07/16

विषयः- राजभवन से हरमू नदी तक फ्लाई–ओवर के निर्माण हेतु ₹ 16608.56 लाख रूपये की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन पर ₹ 16398.85 लाख रूपये की लागत पर भूमि अधिग्रहण अर्थात् कुल ₹ 33007.41 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। राज्य गठन के पश्चात् राज्य की राजधानी राँची कीं जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, इस अनुपात में शहरी परिवहन व्यवस्था से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पाने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया है।

राज्य की राजधानी के परिवहन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता के आलोक में राजधानी क्षेत्र के कतिपय सघन आबादीवाले क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण, जीर्णोद्धार एवं निर्माण के साथ–साथ परिवहन व्यवस्था को द्रुतगामी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक स्थानों पर फ्लाई–ओवर का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त के आलोक में सरकार स्तर पर समीक्षोपरान्त तत्काल शहर के 05 प्रमुख व्यस्ततम मार्गों के समग्र विकास एवं आवश्यकतानुसार फ्लाई–ओवर निर्माण कराये जाने का निर्णय लेते हुए उक्त योजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन उपक्रम मेसर्स मेकॉन लि० को विभागीय संकल्प संख्या–2841, दिनांक–11.08.15 द्वारा दायित्व सौंपा गया था।

पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार सर्वश्री मेकॉन लि० से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ (Project Management Consultancy Services) प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसके विरूद्व सर्वश्री मेकॉन लि० को परियोजना लागत का – DPR विकसित करने हेतु 1.5%, निविदा प्रक्रिया हेतु 1.5% एवं परियोजना प्रबंधन संबंधी सेवायें हेतु 4.5% अर्थात् कुल 7.5% दिए जाने का निर्णय लिया गया था, जो वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रतीत होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री मेकॉन लि० को मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने हेतु प्रदत्त सेवाओं के विरूद्व राशि का भुगतान किया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु अलग से परामर्शी का चयन किया जाएगा।

3. मेसर्स मेकॉन लि० द्वारा सौंपी गयी योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें से राजभवन से बिरसा चौक तक बननेवाली सड़क के साथ "राजभवन से हरमू नदी" (भाया रातु रोड चौक), तक फ्लाई–ओवर बनाया जाएगा, जिसकी लम्बाई 2.2 किलोमीटर होगी, उक्त फ्लाई–ओवर का प्रकार फोरलेन, सपोर्टेड बाई सिंगल सेंट्रल कॉलम, कंक्रीट ढांचा का होगा।

4. राजभवन से हरमू नदी तक बननेवाले फ्लाई–ओवर निर्माण की कुल योजना लागत (भूमि अधिग्रहण सहित) 330,07,41,000/- रू० (तीन सौ तीस करोड़ सात लाख इक्तालीस हजार रूपये) है, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

SUMMARY OF COST ESTIMATE

SN	Item	Amount (Rs.)
A.1	Cost of Flyover RE panels	54918754.31
2	Cost of Service road, Drain & Approach Ramp of Flyover	97031705.21
3	Cost of Flyover	1099174560.61
4	Cost of Rain Water Harvesting	4310351.17
5	Cost of Pier Protection works	22831946.44
6	Illumination	32610000.00
7	Dismantling of powr distribution equipment and installation of new equipment	20800000.00
8	Telecommunication	46000000.00
9	Laying of water pipe line	18000000.00
	Sub Total (A)	139,56,77,317.74
B. 1	Quality Control Charges (1%)	13956773.18
2	Contingencies (0.5%)	6978386.59
3	Price escalation (assumed 10%)	139567731.77
4	Consultancy Service	41870319.53
5	PMC Services	62805479.30
	Total (A+B)	166,08,56,008.11
C.1	Land Acquisiition (only for Flyover) - (C)	163,98,85,202.00
	Grand Total (A+B+C)	330,07,41,210.11
	or SAY	330,07,41,000.00

Arun/Sanjay Sir/Sankalp-5

5. "राजभवन से हरमू नदी" (भाया रातु रोड चौक) तक फ्लाई–ओवर निर्माण के अंतर्गत कुल 441.23 डिसमिल भूमि एवं 127 पक्के संरचना, जिसका क्षेत्रफल 54618.47 Sq ft. एवं 67 कच्चे संरचना, जिसका क्षेत्रफल 12894.81 Sq ft. है, का अधिग्रहण कर पुनर्स्थापन किया जाएगा। उक्त अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापन हेतु कुल 163,98,85,202/– (एक सौ तिरसठ करोड़ अन्ठानवे लाख पचासी हजार दो सौ दो रूपये) लागत आयेगी। फ्लाई–ओवर के लिए अधिग्रहण हेतु चिन्हित भूमि एवं संरचना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार विवरण निम्नवत् है :–

A.	भूमि अधिग्रहण :				
	वार्ड नं०		क्षेत्रफल (डि० में)	दर प्रति डिसमील (रू० में)	लागत राशि (रू०)
	22		33.83	1201992	40661345.97
	23		44.61	1136127	50680256.65
	24		48.93	945162	46249824.81
	29		151.73	860765	130604618.00
	30		84.52	584221	49378510.82
	32		77.61	678408	52652293.02
	कुल–		**441.23**		**37,02,26,849.30**
B.	पक्का संरचना				
	वार्ड नं०	संरचनाओं की संख्या	क्षेत्रफल (Sq. ft में)	दर प्रति Sq. ft. (रू० में)	लागत राशि (रू०)
	22	3	2424.82	6844	16595451.98
	23	18	3755.99	6904	25931377.05
	24	55	11465.43	5827	66809034.97
	30	47	34981.82	5129	179421776.14
	32	4	1990.41	3392	6751458.24
	कुल –	**127**	**54618.47**		**29,55,09,098.38**
C.	कच्चा संरचना				
	वार्ड नं०	संरचनाओं की संख्या	क्षेत्रफल (Sq. ft में)	दर प्रति Sq. ft. (रू० में)	लागत राशि (रू०)
	23	8	3621.92	6274	22723948.67
	24	37	4365.33	5207	22730283.72
	30	22	4907.56	4397	21578525.39
	कुल –	**67**	**12894.81**		**6,70,32,757.78**
D.	भूअर्जन अधिनियम के अनुसार कुल अधिग्रहित भूमि (441.23 डि०) के लागत राशि का 12% सूद की राशि				**4,44,27,221.91**
E.	भूअर्जन अधिनियम के अनुसार भूअर्जन की जानेवाली भूमि एवं संरचना के कुल लागत का 100% सोलिशियम की राशि				**77,71,95,927.35**
F.	लगान पंजीकृत मूल्य की राशि				**1,701.70875**
G.	आकस्मिकता की राशि 0.5%				**77,71,967.782**
H.	स्थापना व्यय की राशि 5%				**7,77,19,677.82**
				कुल (A+B+C+D+E+F+G+H)–	**163,98,85,202.00**

4007
22/07/16

6. फ्लाई–ओवर निर्माण के लिए चिन्हित भूमि की प्राप्ति के लिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में प्रथमतः नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भूमि क्रय हेतु निर्गत संकल्प संख्या 3993 दिनांक 22.07.2016 के आलोक में की जाएगी। भू–स्वामी को भूमि क्रय के बदले यथा निर्धारित राशि के अतिरिक्त ली गई भू–पट्टी पर देय FAR (Floor Area Ratio) को TDR के रूप में अथवा प्रभावित भूखंड के शेष भाग पर FAR (Floor Area Ratio) के रूप में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी।

चिन्हित भूमि क्रय में किसी प्रकार की बाधा या जटिलता उत्पन्न होने की स्थिति में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "झारखण्ड उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्बन्दोबस्ती अधिनियम, 2013" के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

7. "राजभवन से हरमू नदी तक" (भाया रातु रोड चौक) फ्लाई–ओवर निर्माण के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

8. योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत स्थापित सर्वश्री झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंण्ट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा। इस क्रम में सर्वश्री जुडको लि० के द्वारा अलग से परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ (Project Management Consultancy Services) प्राप्त की जाऐंगी।

9. योजना अंतर्गत फ्लाई–ओवर से संबंधित संरचनाओं के निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य योजना मद अंतर्गत निम्नांकित मदों से वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में आवंटित राशि से कार्यान्वित किया जाएगा :–

क्र०	योजना का कार्य	मुख्य शीर्ष
1	फ्लाई–ओवर से संबंधित संरचना	मांग संख्या–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191 (796/789) के अंतर्गत उपशीर्ष–79–वृहत शहरी परिवहन योजनायें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79 सहायता अनुदान के अंतर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP, OSP, SCSP) से की जायेगी।
2	भुमि अधिग्रहण	मांग संख्या–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191 (796/789) के अंतर्गत उपशीर्ष–56–शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान –विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79 सहायता अनुदान के अंतर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP, OSP, SCSP) से की जायेगी।

10. फ्लाई–ओवर निर्माण की अवधि 24 माह होगी।

11. संदर्भित प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22.7.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/वृ०श०परि०(फ्लाई–ओवर)–26/2016–4007 राँची, दिनांक–22/07/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.7.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–5/न0वि0/वृ०श०परि०(फ्लाई–ओवर)–26/2016–4007, दिनांक– 22/07/16

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ऊर्जा विभाग/परिवहन विभाग/वन, पर्यावरण एवं वायुमंडल परिवर्त्तन विभाग/पर्यटन विभाग/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासनिक), जुडको लि०, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.7.16

सरकार के प्रधान सचिव।

Arun/Sanjay Sir/Sankalp-7